प्रेस विज्ञप्ति

29.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने 27.01.2025 को लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकारियों अर्थात् रमन बाला सुब्रमण्यम, एलआईटी के तत्कालीन अध्यक्ष, श्रीमती कुलजीत कौर, कार्यकारी अधिकारी और अन्य, और न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी सराभा नगर, लुधियाना से संबंधित 5.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सतर्कता ब्यूरो, लुधियाना द्वारा भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 02 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके व्यक्तियों को अनुकूल भूखंड आबंटित किए, कुछ अयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं को भूखंड आबंटित किए, गैर-निर्माण शुल्क की अवैध छूट दी और इसके बदले में रिश्वत लेकर आबंटन की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई को टाला।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आगमों (पीओसी) को बैंक खातों में जमा किया गया तथा अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

इससे पहले, 24.08.2023 को छह स्थानों पर तलाशी ली गई थी और पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत 31 लाख रुपये (लगभग) की राशि जब्त/फ्रीज की गई थी।

आगे की जांच जारी है।